भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

अनुलग्नक : 1

भा.वि.प्रा. ऋण नीति (ट्रैफिक) 01.04.2019 से प्रभावी

(01.04.2021 से संशोधित) – संशोधन # 2

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित	
		अंतर्देशीय - अनुसूची एयरलाइंस / गैर-अनुसूची संचालक के लिए	विदेशी अनुसूची एयरलाइंस - भारत में लैंडिंग या एन.एस.ओ.पी. ओवर फ्लाइंग के लिए
1	बिल चक्र	पाक्षिक (15 दिन) आधार पर अर्थात 1 से 15 और 16 से महीने के अंत तक की अवधि तक	साप्ताहिक आधार अर्थात 1 - 7 ; 8 - 15 ; 16—22 ; 23 से महीने के अंत की अवधि तक ।
2	बिल ज़ारी करने का सामान्य समय	बिल चक्र की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर	बिल चक्र की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर
3	क्रेडित अवधि (प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने पर)	दिनांक 31.03.2021 तक के चालान के लिए चालान की तारीख से 10 दिन तक । ** चालान की तारीख से 15 दिन तक (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी) ।	दिनांक 31.03.2021 तक के चालान के लिए चालान की तारीख से 10 दिन तक । ** चालान की तारीख से 15 दिन तक (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी)
4	प्रतिभूति जमा राशि - विदेशी एयरलाइंस सहित शेड्यूल (Schedule) ऑपरेटर	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो माह के संचालन के बराबर और नकद के मामले में 1.5 महीने के संचालन के बराबर	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो महीने के संचालन के बराबर और नकद के मामले में 1.5 महीने के बराबर ।
4.1	नॉन शेड्यूल (Schedule) ऑपरेटर	रु. **6** लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो	रु. **6** लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो ।
4.2	केंद्र/राज्य/उपक्रम के मामले में	रुपये 3 लाख प्रति विमान	लागू नही
5	प्रतिभूति जमा राशि का रूप	या तो नकद या शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बैंक गारंटी	या तो नकद या शेड्यूल कमर्शियल बैंक या भारत में संचालन कर रहे विदेशी बैंक की बैंक गारंटी ।
6	विलंबित भुगतान पर ब्याज	30 दिन तक की देरी होने पर बकाया मूल राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और 30 दिन के बाद नियत तिथि से 31.3.2021 तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और ** **01.04.2021 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।**	30 दिन तक की देरी होने पर बकाया मूल राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और 30 दिन के बाद नियत तिथि से 31.3.2021 तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा और ** **01.04.2021 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।**
6.1	केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज	30 (तीस) दिनों तक के देरी होने पर प्रतिवर्ष 6 % की वार्षिक दर से और 30 दिन के अधिक की देरी होने पर देय तिथि से 12% की वार्षिक दर से ब्याज लगेगा ।	लागू नहीं

6.2	विलम्बित भुगतान पर कार्रवाई हो सकती है	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है:- i) बैंक गारंटी का नकदीकरण ।	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है i) बैंक गारंटी का नकदीकरण ।
		ii) संचालन को कैश एंड कैरी के आधार पर रखें । iii) नीति के अनुसार एयरलाइंस द्वारा प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने पर क्रेडिट सुविधा को पुन: आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है । iv) प्रतिभूति जमा राशि को नकद में समायोजित करने या बकाया राशि के बदले बैंक गारंटी के नकदीकरण के मामले में इसका उपयोग पहले देय ब्याज को चुकाने के लिए किया जाएगा ।	ii) संचालन को कैश एंड कैरी के आधार पर रखें । iii) ओवर फ़्लाइंग के मामले में - ऑपरेशन रोका जा सकता है iv) नीति के अनुसार एयरलाइंस द्वारा प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने पर क्रेडिट सुविधा को पुन: आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है । v) प्रतिभूति जमा राशि को नकद में समायोजित करने या बकाया राशि के बदले बैंक गारंटी के नकदीकरण के मामले में इसका उपयोग पहले देय ब्याज को चुकाने पर किया जाएगा ।
7	हवाई अड्डा प्रभार के भुगतान से छूट	क) भारत सरकार के निमंत्रण पर रक्षा विमान/विदेश सैन्य विमान । ख) वी.वी.आई.पी. उड़ानें जैसे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान । ग) खोज और बचाव उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला विमान । घ) नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) से छूट प्राप्त विमान । ड.) एयर शो या विमानन संबंधी प्रदर्शनी का संचालन – आने-जाने के लिए एकमुश्त हवाई अड्डा शुल्क देय होगा । च) टेरिफ नीति के अनुसार फ्लाइंग स्कूल ।	
8	संशोधन # 1 23.07.2020 से प्रभावी अनुसूचित संचालकों द्वारा गैर अनुसूचित संचालन । (23 जुलाई 2020 को आयोजित 194 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 194.15 के माध्यम से संशोधित)	अनुसूचित (Scheduled) संचालकों द्वारा दिया गया वर्तमान प्रतिभूति जमा राशि पर विचार किया जाएगा और मौजूदा बकाया के साथ-साथ गैर-अनुसूचित परिचालन के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति जमा राशि की उपलब्धता पर, गैर-अनुसूचित परिचालन के लिए ऐसी एयरलाइनों को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी ।	अनुसूचित (Scheduled) संचालकों द्वारा दिया गया वर्तमान प्रतिभूति जमा राशि पर विचार किया जाएगा और मौजूदा बकाया के साथ-साथ गैर-अनुसूचित परिचालन के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति जमा राशि की उपलब्धता पर, गैर-अनुसूचित परिचालन के लिए ऐसी एयरलाइनों को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी ।

टिप्पणी:

1) शेड्यूल एयरलाइन को क्रेडिट सुविधा केवल जमा कराई गई अनुमोदन शेड्यूल और विमानों की दी गई सूची के लिए तथा एन.एस.ओ.पी. के मामले में केवल विशिष्ट विमान के लिए प्रदान की जाएगी । विमान के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर, स्वामित्व में परिवर्तन की तिथि से क्रेडिट सुविधा वापस ले ली जाएगी । पार्टी को विमान के स्वामित्व में परिवर्तन के बारे में पार्टी को तुरंत भा.वि.प्रा. को सूचित करना आवश्यक है ।

2) नकद प्रतिभूति जमा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3) बैंक गारंटी जारी होने की तारीख से कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होगी और बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख के बाद 3 महीने की दावा अवधि के साथ मान्य होगी ।

4) बिल/चालान प्राप्त न होना भुगतान न करने का वैध कारण नहीं होगा । पार्टी से बिलर डायरेक्ट लिंक पर पंजीकरण करने और बिलों को ऑनलाइन देखने का अनुरोध किया जाता है तथा बिल/चालान प्राप्त न होने के लिए भा.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा ।

5) यदि क्रेडिट सुविधा (अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय) प्राप्त कोई शेड्यूल एयरलाइंस, किसी भी कारण से किसी भी अन्य भा.वि.प्रा. हवाईअड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग/मार्ग परिवर्तन करती है तो प्रचलित/मान्य क्रेडिट सुविधा लागू होगी ।

6) पार्टी को भेजी गई रक़म का बिल-वार विवरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भा.वि.प्रा./AAI प्राप्त राशि को पहले देय ब्याज के लिए समायोजित करेगा, उसके बाद अधिशेष/शेष राशि, यदि कोई हो, तो सबसे पुराने बकाया चालान / बिल के लिए काल क्रमानुसार समायोजित करेगा । पार्टियों को भा.वि.प्रा./AAI की बिलर डायरेक्ट सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जाती हैं ।

7) क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस द्वारा मेल द्वारा अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भा.वि.प्रा. को प्रस्तुत किए जाएंगे :

   i) पंजीकरण का प्रमाणपत्र
   ii) डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी किया गया वायु-योग्यता (air-worthiness) का प्रमाण पत्र ।
   iii) डी.जी.सी.ए. द्वारा अनुमोदित प्रचालन का शेड्यूल ।
   iv) चालान भेजने के लिए बिलिंग पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. तथा संबंधित व्यक्ति का नाम
   v) नकद या बैंक गारंटी में प्रतिभूति जमा ।
   vi) पैन नंबर (PAN No.), टैन नंबर (TAN No.) और जी.एस.टी.एन. (GSTIN) पंजीकरण की प्रति ।
   vii) कोई अन्य दस्तावेज़ जो आवश्यक हो ।

टिप्पण:- विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा ।